

अध्याय XXII

चंडीगढ़

1991 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 16.51 प्रतिशत के बराबर है। अनुसूचित जातियों के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और कृषि मजदूरों के रूप में काम करना है। आमतौर पर, यह देखा गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विशेष संघटक योजना के लिए दी जाने वाली धनराशि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुरूप नहीं होती। आयोग की पहले की रिपोर्टों में यह कहा गया था कि प्रशासन को विशेष संघटकर योजना के अन्तर्गत नियम की जाने वाली राशि को अवश्य बढ़ाना चाहिए और इसे कम से कम संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप स्तर तक लाना चाहिए।

22.2 अनुसूचित जातियों के लोगों की 55.44 प्रतिशत की साक्षरता काफी ऊंची है। दरअसल, इस संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा की जो सुविधाएं हैं, वे देश में उपलब्ध सर्वोत्तम सुविधाओं में से एक हैं। इस कारण, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ आते हैं। यह महसूस किया जाता है कि चंडीगढ़ प्रशासन को वोकेशनल/प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संघ राज्यक्षेत्र के मूल में भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार, प्रशासन को अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को भी बहाल कर देना चाहिए, जिन्हें प्रशासन द्वारा उस नई नीति के लागू होने से पहले भर्ती किया गया था, जिसके अन्तर्गत प्रशासन ने अनुसूचित जनजातियों के लिए ग और घ श्रेणी के पदों में कोई आरक्षण नहीं रखा है।